

5/11/2019

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हैं। मध्यार्थ विवेचना आगामी पेशी तक बकाया नहीं है। पत्रावली वाले अधिवक्ता पत्र पेश करने एवं जवाब के दिनांक 14/11/20 को पेश की।

दिनांक 14/20

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित है/पीठाधीनस्थ अधिवक्ता में होने/अन्य पक्ष में उपस्थित होने/बाक्य विवेचना मध्यार्थ से पत्रावली वाला 29/11/20 को पेश हो। दिनांक 29/11/20 को पेश हो।

29/11/20

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित है/पीठाधीनस्थ अधिवक्ता में होने/अन्य पक्ष में उपस्थित होने/बाक्य विवेचना मध्यार्थ से पत्रावली वाला 30/11/20 को पेश हो। दिनांक 30/11/20 को पेश हो।

30/1/20

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित बकाया नहीं है। दोनों अधिवक्ताओं की बकाया सुनने के बाद में इस विषय पर पहुंचा कि मूल वाद के निर्णय तक दिनांक 4/11/2019 को जारी अन्तरिम आदेश को मन्सूरी किया जाय उचित है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाय। ई कि मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम थोरिया रवेडा भी आ.नं. 32, 33, 53 फीता 3 रफ्का 1136 है ग्रामी के इफाई नोके भी प्रचारित

तारीख हुक्म	प्र.स 2019/00207 (122/2019) सत्यनारायण खनाम मदनलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	--	--

कनाथे रवे दिनांक 4.11.2019 को जारी इन्टरिम
 अरज्यायी निषेधाज्ञा आदेश को मन्कर्म सिमा जारा
 है. पजावली फेसलड शुमार होकर गव्वार से
 काम हो।

30.1.2020
 (सुन्दरलाल खखोडा)
 R A S

सहायक कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी,
 जयपुर (भीलवाडा).

